N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0061 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 20/03/2025 16:42 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 12/03/2025 **Date To (दिनांक तक):** 18/03/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:30 बजे **Time To (समय तक):** 16:59 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 20/03/2025 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 20/03/2025 16:42:01 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 430 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARYALAY KSHETRIYA VAN ADHIKARI RANGE UDAIPUR/WEST, VAN MANDAL UDAiPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** DILIP SINGH SISODIYA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BHOPAL SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1983 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	122, SAI VIHAR,DAKAN KOTADA, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	122, SAIE VIHAR,DAKAN KOTADA, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DHEERENDRA SINGH		पिता:RAMGOPAL SINGH	1. NADASA ZAGEER,RAYPUR,BHILWARA,
2	ABDUL RUF ROOAAB		पिता:ABDUL RAZZAK	1. RAZA NAGAR SAVINA,UDAIPUR,RAJASTHAN,

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	भारतीय चलन मुद्रा के एक लाख एक हजार रूपये तथा	4,61,000.00

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	तीन लाख साठ हजार रूपये डमी नोट चिल्ड्रलन नोट	4,61,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,61,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान् पुलिस निरीक्षक साहब, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग इन्टें, उदयपुर। विषय कानूनी कार्यवाही करवाने के सम्बन्ध में। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं प्रार्थी दिलीपसिंह सिसोदिया पुत्र श्री भोपालसिंह निवासी 212 सांई विहार डाकन कोटड़ा उदयपुर का रहने वाला हु। मेरे बायणकृपा बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स उदयपुर के नाम से फर्म है। उक्त फर्म द्वारा मैंने वन विभाग उदयपुर में कालामंगरा-सी व बोरमाल-सी क्षैत्र में मृदा कार्य एवं लवकुश वाटिका उदयपुर क्षैत्र में गार्ड चौकी व टिकिट विंडो का कार्यादेश होने पर मेरे द्वारा उक्त अलग-अलग क्षैत्र में कार्य करवाये जा रहे है। मेरे द्वारा उक्त अलग-अलग क्षैत्र में वर्तमान समय तक जितना काम करवा चूका हू उसका वन विभाग से भौतिक सत्यापन करवाने के पश्चात् अलग-अलग राशि के बिल पेश किये गये थे जिसकी लगभग कुल राशि 34,43,000 रूपये है। उक्त समस्त बिलों का भौतिक सत्यापन होने के पश्चात् श्री धिरेन्द्रसिंह क्षैत्रीय वन अधिकारी द्वारा उक्त बिलों को पारित करने की एवज में मेरे से 10.60 प्रतिशत रिश्वत राशि कमीशन के रूप में डी.एफ.ओ. श्री मुकेश सेनी व सी.सी.एफ. श्री सेडूराम यादव के लिये तथा 12.40 प्रतिशत स्वयं धिरेन्द्रसिंह रेन्जर एवं अपने अधिनस्थ स्टाफ के लिये कमीशन के रूप में रिश्वत राशि की मांग कर रहे है। उक्त अलग-अलग बिलो की राशि मेरे खाते में जमा होने के बाद मुझे बार-बार कमीशन राशि लेने के लिये श्री धिरेन्द्रसिंह रेन्जर परेशान कर रहे है तथा मुझे कहा गया कि यदि पहले के बिलों की राशि का कमीशन बताये अनुसार नही देगा तो तेरे आगे के शेष बकाया बिलो की राशि पारित नही करूंगा। इसी प्रकार मेरे से कुछ दिन पूर्व में श्री धिरेन्द्रसिंह रेन्जर द्वारा उक्त कार्यों के एक बिल की राशि लगभग 12 लाख रूपये जो मेरी फर्म के खाते में जमा हुए थे जिस पर श्री धिरेन्द्रसिंह रेन्जर का पदस्थापन नही होने से उसके द्वारा डी.एफ.ओ. साहब व सी.सी.एफ. साहब के लिये कमीशन देने के लिये दबाव बनाकर मेरे 60000 रूपये ले लिये थे। इस प्रकार मैं उन्हे अब कमीशन के रूप में रिश्वत राशि नही देना चाहता हूतथा रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हू। कानूनी कार्यवाही करावे। स्थान- उदयपुर भवदीय दिनांक- 12.03.2025 एसडी (दिलीपसिंह सिसोदिया) कार्यवाही पुलिस महोदय, वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 12.03.2025 समय करीब 04.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक डॉ. सोनू शेखावत द्वारा कार्यालय में उपस्थित स्टाफ के सदस्य श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी को तलब कर निर्देशित किया गया कि परिवादी श्री दिलीपसिंह पुत्र श्री भोपालसिंह निवासी उदयपुर के मोबाईल नम्बर देकर सम्पर्क कर निर्देशित किया गया कि परिवादी श्री दिलीपसिंह द्वारा अवगत करवाया गया कि उसके द्वारा वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बिल पास की कमीशन राशि लेने हेतु बार-बार परेशान कर रहे है जिस पर उसे कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट देने हेतु अवगत करवाया गया तो उसने बताया कि मुझे उनके द्वारा शीघ्र ही बुलाया है तथा मैंने रिपोर्ट लिखी हुई अपने पास है जो पेश कर दूंगा तथा मुझे जल्दी ही बुलाया है इस पर परिवादी को आवश्यक निर्देश दिये जाकर उपस्थित श्री दलपतसिंह को निर्देश दिये कि परिवादी श्री दिलीपसिंह से उसकी रिपोर्ट प्राप्त कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करे तत्पश्चात् कार्यालय से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से मंगवाकर श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी को सुपुर्द किया गया तथा आरोपी की आम शोहरत इत्यादि हासिल कर लाने हेतु आवश्यक हिदायत दी जाकर अवगत कराया कि परिवादी श्री दिलीपसिंह जो राजकीय महाराणा भूपाल चिकित्सालय उदयपुर के मुख्य गेट से पूर्व मिलेगा तत्पश्चात् श्री दलपतसिंह को कार्यालय से रवाना किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 05.25 पी.एम. पर श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी ब्यूरो कार्यालय इन्टें उदयपुर पर उपस्थित आया जिसने परिवादी की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पेश कर बताया कि मैं ब्यूरो कार्यालय इन्टें उदयपुर से स्वयं की मोटरसाईकिल से रवाना होकर राजकीय महाराणा भूपाल चिकित्सालय उदयपुर के मुख्य दरवाजे से कुछ दूरी पर श्री दिलीपसिंह उपस्थित मिले तत्पश्चात् उनको मेरा पूरा परिचय देने के पश्चात् उन्होने अपना नाम दिलीपसिंह सिसोदिया पुत्र श्री भोपालसिंह निवासी 212 सांई विहार डाकन कोटड़ा उदयपुर होना बताया तत्पश्चात् उन्होने एक हस्तलिखित रिपोर्ट मुझे दी गई। उक्त रिपोर्ट के अनुसार रिश्वत राशि मांग करना पाया जाने से परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड के संचालन की विधि समझाई गई तत्पश्चात् परिवादी श्री दिलीपसिंह ने बताया कि श्री धिरेन्द्रसिंह रेन्जर ने मुझे चेतक सर्कील से आगे स्थित उप वन संरक्षक उदयपुर कार्यालय में बातचीत के लिये बुलाया है।

उसके पश्चात् परिवादी श्री दिलीपसिंह के कहे अनुसार डिजिटल टेप रिकॉर्डर वही चालु करवाकर रवाना होने हेतु कहा गया जिस पर मेरे द्वारा समय करीबन 4.56 पी.एम. पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु कर परिवादी को सुपुर्द कर उप वन सरंक्षक कार्यालय उदयपुर के लिये रवाना किया गया जिस पर परिवादी वही से उसकी निजी कार से रवाना हुआ तथा सहायक प्रशासनिक अधिकारी दलपतसिंह परिवादी की कार के पिछे-पिछे अपनी स्वयं की मोटरसाईकिल से रवाना हुआ, रवानाशुदा परिवादी उप वन सरंक्षक कार्यालय उदयपुर के मुख्य दरवाजे में प्रवेश हुआ तथा मैंने अपनी मोटसाईकिल को उप वन सरंक्षक कार्यालय उदयपुर के बाहर खड़ी कर एक तरफ मुकीम रहा। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री दिलीपसिंह उसकी कार से उप वन सरंक्षक कार्यालय से बाहर आया तथा मैं भी अपनी मोटरसाईकिल से उसके पिछे-पिछे रवाना हुआ तो कुछ दूरी पर चेतक सर्कील से पहले परिवादी श्री दिलीपसिंह ने कार को एक तरफ रोका गया जिस पर मैं भी अपनी मोटरसाईकिल को एक तरफ खड़ी कर परिवादी की कार में प्रवेश कर परिवादी के पास आया जिसने मुझे चालु अवस्था में डिजिटल टेप रिकॉर्ड सुपुर्द किया जिसे मैंने लेकर समय करीबन 5.11 पी.एम. पर बन्द कर अपने पास रखा तत्पश्चात् परिवादी ने बताया कि श्री धिरेन्द्रसिंह क्षैत्रीय वन अधिकारी से मेरी बातचीत हुई है परन्तु रिश्वत राशि का पूर्ण खुलासा नही हो सका तथा होली का अवकाश आने से दिनांक 17.03.2025 सोमवार या 18.03.2025 मंगलवार तक वापस आकर बातचीत करने हेतु कहा गया है। इस प्रकार सम्पूर्ण हालात की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् डॉ. सोनू शेखावत पुलिस निरीक्षक से वार्ता कर हालात से अवगत करवाया गया तत्पश्चात् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी श्री दिलीपसिंह को निर्देशित किया गया कि श्री धिरेन्द्रसिंह क्षैत्रीय वन अधिकारी द्वारा जब भी सम्पर्क करे तो तुरन्त अवगत करावे। आवश्यक निर्देश दिये जाकर परिवादी को मौके से रवाना कर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। परिवादी की ओर से दिये गये प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर शामिल कार्यवाही की गई तथा श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड पेश किया गया जिसको चालु कर परिवादी व संदिग्ध अधिकारी के मध्य हुई वार्ता को सुना जाकर कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। आईन्दा परिवादी द्वारा अग्रिम मांग सत्यापन हेतु उपस्थित होने पर कार्यवाही की जायेगी। तत्पश्चात् दिनांक 18.03.2025 को समय करीब 12.05 पी.एम. पर परिवादी श्री दिलीपसिंह ने जरिये दूरभाश वार्ता कर अवगत करवाया कि समय करीब 11.24 पी.एम. पर वार्ता कर मेरे बकाया बिल पारित करवाने हेतु कहा तो उन्होने पूर्व में पास शुदा बिलो के कमीशन की बातचीत हेतु क्षैत्रीय वन अधिकारी रेन्ज कार्यालय पर बुलाया है जिस पर मैंने उनको कुछ ही देर में आने के लिये कहा गया है तथा परिवादी श्री दिलीपसिंह ने बताया कि मैं फतहसागर के पास मल्ला तलाई की ओर जाने वाले अरावली वाटिका चौराहा पर मिलुंगा जिसको श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी के साथ डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सहित भिजवाने के लिये अवगत करवाया गया तत्पश्चात् कार्यालय में उपस्थित श्री दलपतसिंह को तलब कर डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मंगवाया गया तथा हिदायत दी गई कि परिवादी श्री दिलीपसिंह जो अरावली वाटिका के पास मिलेगा जिससे सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यवाही करने हेतु कार्यालय से इस समय 12.05 पी.एम. पर रूखसत किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 01.40 पी.एम. पर श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी ब्यूरो कार्यालय इन्टें उदयपुर पर उपस्थित आये जिसने डिजिटल टेप रिकॉर्ड मय मेमोरी कार्ड पेश कर बताया कि मैं अपनी निजी मोटरसाईकिल से रवाना होकर अरावली चौराहा फतहसागर उदयपुर के पास पहुॅचा तो परिवादी श्री दिलीपसिंह ने बताया कि मुझे श्री धिरेन्द्रसिंह क्षैत्रीय वन अधिकारी ने उसके कार्यालय सज्जनगढ़ के पास स्थित कार्यालय पर कमीशन के रूपये की बातचीत के लिये बुलाया है जो कुछ ही दूरी पर है जिस पर परिवादी के कहे अनुसार डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमारी कार्ड चालु कर समय 12.23 पी.एम. पर सुपुर्द कर क्षैत्रीय वन अधिकारी कार्यालय की ओर उसकी निजी कार से रवाना किया गया तथा मैं परिवादी की कार के पिछे-पिछे अपनी निजी मोटरसाईकिल से रवाना हुआ, रवानाशुदा परिवादी क्षैत्रीय वन अधिकारी कार्यालय के अन्दर प्रवेश हुआ तथा मैं मोटरसाईकिल को एक तरफ खड़ी कर मुकीम रहा। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री दिलीपसिंह अपनी कार से क्षैत्रीय वन अधिकारी कार्यालय से बाहर आया तथा कुछ दूरी पर रूका जिस पर मैं श्री दिलीपसिंह के पास पहुचा तो उसने मुझे डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड समय करीब 01.25 पर सुपुर्द किया गया जिसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा तत्पश्चात् परिवादी श्री दिलीपसिंह ने बताया कि मैं क्षैत्रीय वन अधिकारी कार्यालय में गया तो वहां पर श्री धिरेन्द्रसिंह क्षैत्रीय वन अधिकारी उपस्थित मिले जिनसे मैंने मेरे पारित शुदा के बारे में बातचीत की गई तो उनके द्वारा कमीशन के रूप में 4,61,840 रूपये की मांग स्वयं व डी.एफ0.ओ. व सी.सी.एफ. के लिये की गई तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक डॉ. सोनू शेखावत से जरिये दूरभाश सम्पर्क कर उक्त मांग सत्यापन के बारे में मौके से अवगत करवाया गया तथा परिवादी श्री दिलीपसिंह से भी वार्ता की गई तो बताया कि आरोपी श्री धिरेन्द्रसिंह रेन्जर द्वारा आज ही रिश्वत राशि 4,61,840 रूपये लेकर बुलाया है जिस पर परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर शीघ्र ही कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। श्री दलपतसिंह ने बताया कि उसके पश्चात् मैं मौके से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। मांग सत्यापन के हालात से अग्रिम कार्यवाही आज ही किये जाने से दो स्वतन्त्र गवाहान की तलबी किया जाना आवष्यक है। तत्पश्चात समय करीब 2.00 पी.एम. पर अग्रिम टे्प कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने पर श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग शहर उदयपुर को जरिये पत्रांक 592 दिनांक 18.03.2025 से श्री अजयकुमार कानि. नम्बर 456 को दो स्वतन्त्र गवाह तलबी हेतु कार्यालय से

रूखसत किया जाकर समय करीब 2.30 पी.एम. पर श्री अजयकुमार कानि. ब्यूरो कार्यालय इन्टें उदयपुर में उपस्थित होकर श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग शहर वृत उदयपुर का पत्रांक 2358 दिनांक 18.03.2025 दो स्वतन्त्र गवाह पाबन्द करने का पत्र पेश किया गया। इसी प्रकार कार्यवाही हेतु जाब्ता भिजवाने हेतु श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो उदयपुर व श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस.यू. उदयपुर कार्यालय पर निवेदन किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 2.40 पी.एम. पर परिवादी श्री दिलीपसिंह ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया जिसको मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उसकी ओर से दिनांक 12.03.2025 को पेश की गई रिपोर्ट बताई गई तो उसने बताया कि उक्त रिपोर्ट मेरे स्वयं की हस्तलिपि में है जो मैंने दिनांक 12.03.2025 को श्री दलपत सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी को दौराने् रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यवाही से पूर्व पेश की गई है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। उक्त रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए परिवादी श्री दिलीपसिंह ने पूर्व में हुए समस्त घटना क्रम की ताईद की। तत्पश्चात् परिवादी श्री दिलीप सिंह ने बताया कि दिनांक 18.03.2025 को समय करीब 11.24 पी.एम. पर मैंने मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] से श्री धिरेन्द्रसिंह रेन्जर के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कर उनको मेरे बकाया बिल पारित करवाने हेतु कहा तो उन्होने पूर्व में पास शुदा बिलो के कमीशन की बातचीत हेतु क्षैत्रीय वन अधिकारी रेन्ज कार्यालय पर बुलाया है जिस पर मैंने उनको कुछ ही देर में आने के लिये कहा गया है। उसके बाद आपको मैंने फतहसागर के पास मल्ला तलाई की ओर जाने वाले अरावली वाटिका चौराहा पर मिलने हेतु कहा गया तो आपके द्वारा श्री दलपतसिंह के साथ डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सहित भिजवाने के लिये अवगत करवाया गया तत्पश्चात् कुछ समय बाद श्री दलपतसिंह मोटरसाईकिल से अरावली चौराहा फतहसागर उदयपुर जहां पर मैं खड़ा था वहां पर मेरे पास पहुॅचे जिनको मैंने बताया कि मुझे श्री धिरेन्द्रसिंह क्षैत्रीय वन अधिकारी ने उसके कार्यालय सज्जनगढ़ के पास स्थित कार्यालय पर कमीशन के रूपये की बातचीत के लिये बुलाया है जो कुछ ही दूरी पर है जिस पर मेरे कहे अनुसार श्री दलपतसिंह द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमारी कार्ड चालु कर समय 12.23 पी.एम. पर सुपुर्द कर क्षैत्रीय वन अधिकारी कार्यालय की ओर मेरी निजी कार से रवाना किया गया तथा श्री दलपतसिंह मेरे पिछे-पिछे अपनी मोटरसाईकिल से रवाना हुए, रवानाशुदा मैं क्षैत्रीय वन अधिकारी कार्यालय के अन्दर प्रवेश हुआ तथा श्री दलपतसिंह मोटरसाईकिल को एक तरफ खड़ी कर कार्यालय परिसर के पास ही खड़े हो गये थे। मैं क्षैत्रीय वन अधिकारी कार्यालय में गया तो मुझे श्री धिरेन्द्रसिंह रेन्जर उपस्थित मिले तथा उनके कार्यालय कक्ष में श्री धिरेन्द्रसिंह रेन्जर के अलावा श्री रूआब जी वनरक्षक व श्री कृश्णगोपाल पुरोहित फोरेस्टर उपस्थित थे। उसी दौरान् मैंने श्री धिरेन्द्रसिंह रेन्जर से मेरे पास हुए बिलों व बकाया बिलों के बारे में बातचीत की तो श्री धिरेन्द्रसिंह रेन्जर द्वारा अलग-अलग बिल अनुसार कमीशन की बातचीत की जिसके अनुसार पहले के 12 लाख का बिल खाते में जमा हुआ उसके पेटे डी.एफ.ओ. व सी.सी.एफ. साहब के 10.60 प्रतिशत कमीशन राशि के रूप में 127200 रूपये हुआ जिसमें से 60000 रूपये श्री धिरेन्द्रसिंह रेन्जर को पूर्व में दे देना अवगत कराया जिसके पश्चात् उसका बकाया कमीशन 67200 रूपये तय हुआ इसी प्रकार मेरे अलग-अलग कार्यो के भुगतान हो चूके बिलों की करीबन राशि 2243000 रूपये का 10.60 प्रतिशत कमीशन राशि डी.एफ.ओ. व सी.सी.एफ. साहब के लिये तथा 07 प्रतिशत स्वयं श्री धिरेन्द्रसिंह रेन्जर द्वारा मांग की गई जिसके अनुसार पूर्व बकाया कमीशन 67200 रूपये व 2243000 का 17.60 प्रतिशत कमीशन अनुसार कुल 461840 रूपये की मांग अनुसार लेना तय हुआ तथा रिश्वत राशि आज ही लेकर बुलाने पर मैंने उनको व्यवस्था कर लाने हेतु कहा तथा यह भी कहा गया था कि यदि मैं कार्यालय में नही मिलु तो श्री रूआब जी वनरक्षक जो सामने ही कुर्सी पर बैठे हुए थे उनकी ओर ईशारा कर बोला कि रूपये इनको दे देना जिस पर श्री रूआब जी ने भी सहमति के तौर पर ईशारा किया गया था। उसके बाद मैं अपनी कार से क्षैत्रीय वन अधिकारी कार्यालय से बाहर आया तथा कुछ दूरी पर रूका जिस पर मेरे पास पहुॅचे तो जिनको मैंने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड समय करीब 01.25 पर सुपुर्द किया गया जिसे बन्द कर उन्होने अपने पास सुरक्षित रखा तत्पश्चात् आपसे वार्ता कर दिशा निर्देश प्राप्त कर वहां से रवाना होकर मैं अपने घर गया तथा काफी प्रयास करने के बावजूद रिश्वत राशि 461840 रूपये की व्यवस्था नही हुई तथा मेरे पास केवल 101000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा की व्यवस्था होने से मैं रूपये लेकर मेरे घर से रवाना हुआ तथा मेरे स्तर पर व्यवस्था कर 500-500 रूपये के चिल्ड्रन नोट 720 कुल 360000 रूपये लेकर अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय में उपस्थित आया हू। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालु कर मुख्य-मुख्य अंश को सुना गया तो परिवादी श्री दिलीपसिंह द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई। तत्पश्चात् समय करीब 3.15 पी.एम. पर तलबशुदा स्वतंत्र गवाहान उपस्थित आये जिन्होने अपना परिचय श्री दिलीपकुमार हाल वरिष्ठ सहायक व श्री सुनील मेहता हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग उदयपुर होना बताया उपरोक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को मन् पुलिस निरीक्षक ने उपरोक्त टे्प कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान के रूप मे उपस्थित रहने हेतु कहने पर दोनो ने अपनी-अपनी सहमति मौखिक ही व्यक्त करने पर परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान का परिचय आपस में कराया जाकर परिवादी श्री दिलीपसिंह की रिपोर्ट दिनांक 12-03-25 को पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने शब्द-ब-शब्द सही होना मान रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना जाहिर किया। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। चूंकि परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों के अनुसार समय अभाव को देखते हुए डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर दोनों स्वतन्त्र गवाहान को मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश

सुनाये गये तो परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता अनुसार रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन होना पाया गया। उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द पृथक से मुर्तिब की जायेगी। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर मांग सत्यापन वार्ताओं को सुरक्षित रखने की दृष्टि से सेव किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो कार्यालय उदयपुर से श्री सुरेश जाट कानि. 424 के साथ सरकारी विडियो केमरा, श्री मांगीलाल कानि. व श्रीमती प्रियंका महिला कानि. उपस्थित आई तथा कुछ समय पश्चात् श्री गिरीराज शर्मा पुलिस उप निरीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो एस.यू. उदयपुर उपस्थित आये जिन्हे आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। कार्यालय में उपस्थित स्टाफ के सदस्यों को तलब कर परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया जाकर सभी को की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये जाकर समय करीब 3.50 पी.एम. पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री दिलीपसिंह से आरोपी श्री धिरेन्द्रसिंह रेन्जर को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री दिलीपसिंह ने अपने पास से 500-500 रूपये को 202 नोट कुल 101000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के करेन्सी नोट व 500-500 रूपये के 720 चिल्ड्रन नोट कुल 360000 पेश किये। समय अभाव होने के कारण 500-500 रूपये के 202 नोट भारतीय चलन मुद्रा की फोटोकॉपी कार्यालय की फोटो स्टेट मशीन से की गई जिसकी प्रत्येक फोटोप्रति शीट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं चिल्ड्रन नोटों की कुल 8 अलग-अलग गिड्यिा बनाई जाकर भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के नोट जो कुल 101000 रूपये को उपरोक्त 500-500 के नोट चिल्ड्रन गडियों के आगे पीछे लगाये गये। समस्त कार्यवाही का दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम बाई कार्बोनेट की प्रक्रिया उपस्थित गवाहान व ट्रैप दल के समक्ष की जाकर उक्त सम्बन्ध में पृथक से फर्द भी तैयार की गई। तत्पश्चात् समय करीब 04.35 पी.एम. पर श्री मुनीर मोहम्मद के निजी वाहन से उसके साथ मन् पुलिस निरीक्षक, श्री गिरीराज शर्मा उप निरीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री सुनील मेहता व श्री दिलीप कुमार एवं श्री मांगीलाल कानि. सहित मय लेपटोप व प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, विडियो केमरा सहित एवं श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी के साथ परिवादी श्री दिलीपसिंह सरकारी मोटरसाईकिल से, श्री अजयकुमार कानि. के साथ श्री सुरेशकुमार कानि. को निजी मोटरसाईकिल सहित रवाना क्षैत्रीय वन अधिकारी कार्यालय उदयपुर के लिए रवाना होकर समय करीब 04.56 पी.एम. पर श्री मुनीर मोहम्मद के निजी वाहन से उसके साथ मन् पुलिस निरीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री सुनील मेहता व श्री दिलीपकुमार एवं श्री मांगीलाल कानि. सहित मय लेपटोप व प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स सहित एवं श्री दलपतसिंह सहायक प्रशानिक अधिकारी के साथ परिवादी श्री दिलीपसिंह सरकारी मोटरसाईकिल से, श्री अजयकुमार कानि. के साथ श्री सुरेशकुमार कानि. को निजी मोटरसाईकिल सहित ब्यूरो कार्यालय से रवानाशुदा क्षैत्रीय वन अधिकारी कार्यालय से पहले पहुचे तत्पश्चात् परिवादी श्री दिलीपसिंह को डिजिटल टेप रिकॉर्डर श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु चालु कर सुपुर्द कर क्षैत्रीय वन अधिकारी कार्यालय उदयपुर के लिये मोटरसाईकिल से रवाना किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान परिवादी के पिछे-पिछे क्षैत्रीय वन अधिकारी कार्यालय के बाहर परिवादी के निर्धारित ईशारे की इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात् समय करीब 04.59 पी.एम. पर परिवादी श्री दिलीपसिंह ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मन् पुलिस निरीक्षक डॉ. सोनू शेखावत के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल कर रिश्वत राशि स्वीकारोक्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा करने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो के जाप्ता सहित क्षैत्रीय वन अधिकारी कार्यालय में प्रवेश किया तो परिवादी सामने स्थित कार्यालय परिसर में खड़ा मिला जिसके पास पहुचे तो परिवादी ने रिश्वत राशि के लेनदेन के वक्त हुई वार्तालाप जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की, उस डिजीटल टेप रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक को देने पर टेप रिकॉर्डर को बंद कर सुरक्षित हालात में मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास रख लिया। तत्पश्चात परिवादी ने सामने ही स्थित कमरे की ओर ईशारा कर बताया कि अभी-अभी इस कमरे में बेठे श्री धिरेन्द्रसिंह रेन्जर से जाकर मिला तो कमरे में उनके अलावा अन्य स्टाफ के व्यक्ति भी बैठे थे तत्पश्चात् उनकी मांग के मुताबिक रिश्वत राशि रखी हुई थेली मैंने मेरे बेग से निकालकर देने लगा तो श्री धिरेन्द्रसिंह रेन्जर ने हाथ के ईशारे से पास ही बैठे श्री रूआब जी वन रक्षक को देने हेतु कहा जिस पर श्री रूआब जी ने रिश्वत राशि रखे रूपयों की थेली को अपने हाथों से ग्रहण कर अपनी टेबल के नीचे फर्स पर रख दिये तत्पश्चात् उक्त कमरे से बाहर निकलकर कॉल कर पूर्व निर्धारित ईशारा किया है। इस पर परिवादी के साथ मन् पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो का जाप्ता के साथ उक्त कमरे में प्रवेश किया तो एक कक्ष में बैठे हुए एक व्यक्ति की तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही श्री धिरेन्द्रसिंह रेन्जर है जिन्होने अभी-अभी मेरे कालामंगरा-सी व बोरमाल-सी क्षैत्र में मृदा कार्य एवं लवकुश वाटिका उदयपुर क्षैत्र में गार्ड चौकी व टिकिट विंडो कार्य के बिल जो पास हुए उनके पेटे कमीशन के रूप में डी.एफ.ओ. साहब श्री मुकेश सेनी व सी.सी.एफ. साहब श्री सेठूराम यादव एवं स्वयं धिरेन्द्रसिंह रेन्जर के लिये कुल 4,61,840 रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई जिसके स्वरूप मैंने अभी-अभी इनको भारतीय चलन मुद्रा व चिल्ड्रन नोट के कुल 4,60,000 रूपये एक थेली में रखे हुए देने लगा तो इन्होने पास ही बैठे श्री रूआब वन रक्षक को देने हेतु कहा जो इनको दिये जो श्री रूआब जी ने अपने हाथों से ग्रहण कर अपनी टेबल के नीचे रखे है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं तथा स्वतंत्र गवाहान तथा टे^प पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपना परिचय पत्र दिखाते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा आरोपी से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री धिरेन्द्रसिंह पुत्र श्री रामगोपाल सिंह

उम्र 36 वर्श निवासी नांदसा जागीर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा हाल क्षैत्रीय वन अधिकारी कार्यालय क्षैत्रीय वन अधिकारी रेंज उदयपुर (पश्चिम) वन मण्डल उदयपुर होना बताया। इस पर आरोपी श्री धिरेन्द्रसिंह रेन्जर से पूछा गया कि आपने अभी अभी कुछ समय पूर्व परिवादी श्री दिलीपसिंह से उसकी फर्म बायण कृपा बिल्डिंग मेटेरियल सप्लायर्स द्वारा अलग-अलग कार्यो के कार्यादेश लिये थे जिसमें कार्य कालामंगरा-सी व बोरमाल-सी क्षैत्र में मृदा कार्य एवं लवकुश वाटिका उदयपुर क्षैत्र में गार्ड चौकी व टिकिट विंडो कार्य के अलग-अलग बिल अनुसार कमीशन की बातचीत की जिसके अनुसार पहले के 12 लाख का बिल परिवादी की फर्म के खाते में जमा हुआ उसके पेटे डी.एफ.ओ. व सी.सी.एफ. साहब के 10.60 प्रतिशत कमीशन राशि के रूप में 127200 रूपये लेना हुआ जिसमें से 60000 रूपये पूर्व में परिवादी श्री दिलीपसिंह से ग्रहण करना तथा उसका बकाया कमीशन 67200 रूपये और लेना तय हुआ इसी प्रकार अलग-अलग कार्यो के भुगतान हो चूके बिलों की करीबन राशि 2243000 रूपये का 10.60 प्रतिशत कमीशन राशि डी.एफ.ओ. व सी.सी.एफ. साहब के लिये तथा 07 प्रतिशत स्वयं श्री धिरेन्द्रसिंह रेन्जर द्वारा मांग की गई जिसके अनुसार पूर्व बकाया कमीषन 67200 रूपये व 2243000 का 17.60 प्रतिशत कमीशन अनुसार कुल 461840 रूपये की मांग कर अपने अधिनस्थ स्टाफ श्री रूआब वनरक्षक को दिलवाये के संबंध में पूछने पर आरोपी श्री धिरेन्द्रसिंह रेन्जर ने बताया कि मैंने कोई रिश्वत राशि की मांग नही की है तथा ना ही ग्रहण की है यह तो मैं इनको इनके बिल जो जमा हुए है तथा श्री दिलीपसिंह द्वारा उसके बकाया बिलों की जानकारी मेरे से चाहने मेरे द्वारा बिल अनुसार गणना व ई.सी.एस. के बारे में जानकारी दी है कि आपके खाते में पैसे जमा हो जायेंगे। इस पर पुनः मांग सत्यापन वार्ता की आवाज के मुख्य-मुख्य अंश स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष श्री धिरेन्द्रसिंह को सुनाये जाकर उक्त कार्यों के कमीशन के रूप में डी.एफ.ओ. व सी.सी.एफ. तथा स्वयं के नाम पर रिश्वत राशि मांगने की पुष्टि के बारे अवगत करवाया गया कि डी.एफ.ओ. व सी.सी.एफ. को कमीशन का हिस्सा दिया जाता है तो उनसे जरिये दूरभाश पुष्टि हेतु वार्ता करने के लिये कहा गया परन्तु श्री धिरेन्द्रसिंह रेन्जर चूप रहा तथा बताया कि दूरभाष पर मेरे से इस सम्बन्ध में कोई बातचीत नही करेंगे। इस पर परिवादी श्री दिलीपसिंह से पूर्व में ग्रहण की गई रिश्वत राशि 60,000 रूपये जो डी. एफ.ओ. व सी.सी.एफ. साहब को देने के नाम पर ग्रहण की गई थी उक्त राशि के बारे में पुछा तो श्री धिरेन्द्रसिंह चुप रहा तथा कोई भी प्रत्युत्तर पुछने पर नही दिया गया। इस पर परिवादी पास ही कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को भी उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री अब्दुल रउफ (रूआब) पुत्र श्री अब्दुल रज्जाक उम्र 34 वर्श निवासी रजा नगर सवीना जिला उदयपुर हाल वनरक्षक कार्यालय क्षैत्रीय वन अधिकारी रेंज उदयपुर होना बताया जिसे पुछा गया कि आपने अभी-अभी कुछ समय पूर्व परिवादी श्री दिलीपसिंह से उसकी फर्म द्वारा करवाये गये कार्यों की एवज में कमीषन के रूप में दी जाने वाली रिष्वत राषि जो एक थेली में रखी हुई को श्री धिरेन्द्रसिंह रेन्जर के कहे अनुसार आपके द्वारा अपने हाथों से ग्रहण कर अपनी टेबल के नीचे रखने के सम्बन्ध में पुछने पर श्री अब्दुल रउफ वनरक्षक ने कहा कि यह श्री दिलीपसिंह ठेकेदार जी आज दिन में भी इसी कार्यालय में आये थे उस समय भी श्री धिरेन्द्रसिंह रेन्जर से उसके बिलों की भुगतान राशि के कमीशन के बारे में बातचीत कर रहे थे उस दौरान् में भी उनके पास ही बैठा था उनके बातचीत के बाद श्री दिलीपसिंह के चले गये थे तथा अभी-अभी कुछ समय पूर्व श्री दिलीपसिंह कार्यालय कक्ष में आये तथा एक थेली जिसमें रूपये रखे हुए को श्री धिरेन्द्रसिंह रेन्जर को देने लगे जिस पर श्री धिरेन्द्र सिंह रेन्जर के कहे अनुसार श्री दिलीपसिंह ने उक्त नोट रखे थेली को मुझे दी जो मैंने अपने हाथों से लेकर अपनी टेबल के नीचे फर्स पर रखी है जो अभी भी उसी अवस्था में पड़ी हुई है तथा कहने लगा कि मेरे द्वारा श्री दिलीपसिंह से ना तो कभी रिष्वत राषि की मांग की गई थी ना ही रिष्वत राषि के मांग की एवज् में मेरे द्वारा कोई रिष्वत राषि ग्रहण की गई है, मुझे माफ कर दो मेरी इसमें कोई गलती नही है। इस पर पुनः श्री अब्दुल रउफ (रूआन) वनरक्षक द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर पर श्री धिरेन्द्रसिंह रेन्जर को पुछने पर चुप रहा। जिस पर परिवादी श्री दिलीपसिंह ने बताया कि मैने क्षेत्रिय वन अधिकारी की मांग के अनुसार रिश्वत राशि श्री अब्दुल रउफ वनरक्षक को दी है, लेकिन श्री अब्दुल रउफ (रूआन) ने मुझसे कभी रिश्वत राशि की मांग नही की है। प्रकियानुसार आरोपी श्री अब्दुल रउफ (रूआन) वनरक्षक के दोनो हाथों के धोवन लिया जाना वांछित होने से श्री मांगीलाल कानि. से निजी वाहन में से टे³प बॉक्स मंगवाया जाकर टे³प बॉक्स में से दो प्लास्टिक की पारदर्शी गिलास निकलाकर कार्यालय में से साफ पानी मंगवाकर उक्त प्लास्टिक की पारदर्शी दोनों गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री अब्दुल रउफ वनरक्षक के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी मटमेला हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से कराये जाकर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री अब्दुल रउफ वनरक्षक के बाये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी मटमेला हुआ। जिसे कांच दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री मुनीर मोहम्मद से कराये जाकर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपस्थितिन के समक्ष आरोपीगण श्री धिरेन्द्रसिंह रेन्जर व श्री अब्दुल रउफ वनरक्षक की निशादेही पर श्री अब्दुल रउफ वनरक्षक की कुर्सी के सामने रखी टेबल के नीचे रिश्वत राशि रखी हुई थेली को गवाह श्री दिलीपकुमार से उठवाये जाकर

थेली के अन्दर एक अखबार लपेटे हुए पैकेट को खोला गया जिसके अन्दर एक प्लास्टिक की थेली में रखे नोटों की गिड्डियां निकाली जाकर सामने टेबल पर रखी जाकर उसमें अलग-अलग चिल्ड्रन नोट की गिड्डियों के आगे व पिछे लगे भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 202 नोटो की दो अलग-अलग गिड्डियां बनाई गई तथा 500-500 रूपये के चिल्ड्रन नोट कुल 720 नोटों की अलग-अलग गिड्डियां तैयार की गई। गवाहों से बरामद षुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 202 नोट कुल 101000 रूपये के नोटों के नम्बरों का मिलान पूर्व में फर्द पेषकषी के साथ नोटों की फोटो प्रतियां में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाई गई तो नोटों के नम्बरो का मिलान होना हूबहू पाया गया। उपरोक्त बरामद रिश्वत राशि पर सफेद कागज की चिट लगाकर श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से सिलचिट बन्द करा मार्क N-1 अंकित करा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर नियमानुसार कब्जे ब्यूरों लिये गये। इसके पष्चात् बरामदशुदा 500-500 के 720 चिल्ड्रन नोट जो 3,60,000 रूपये पर भी सफेद कागज की चिट लगाकर श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से सिलचिट बन्द करा मार्क N-2 अंकित करा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर नियमानुसार कब्जे ब्यूरों लिये गये। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स में से श्री मांगीलाल कानि. से एक प्लास्टिक की पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त घोल में रिश्वत राशि बरामदगी टेबल के नीचे फर्स के स्थान पर एक कपड़े की छिन्दी घुमाकर गिलास में डूबोया गया तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से कराये जाकर मार्क FF-1 व FF-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि रखी हुई थेली/अखबार/प्लास्टिक की थेली को एक सफेद कपड़े की थेली में नियमानुसार रखा जाकर सिलचिट बन्द कर श्री मुनीर मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक से कराये जाकर मार्क FRrffRR-1 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि के मांग सत्यापन एवं लेनदेन के वक्त परिवादी तथा आरोपी श्री धिरेन्द्रसिंह रेन्जर के मध्य जो वार्तालाप रिकॉर्ड की गयी, को उपस्थितिन के समक्ष सुनाई गई तो परिवादी तथा आरोपी श्री धिरेन्द्रसिंह ने अपनी-अपनी आवाज होना स्वीकार किया। फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि के दौरान् विडियो केमरे से विडियोग्राफी श्री सुरेश जाट कानि. से करवाई गई तथा उक्त फर्द का टंकण कार्य श्री दलपतसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लेपटॉप पर किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित ट्रान्स्क्रिप्ट पृथक पृथक से मुर्तिब की गई। तत्पश्चात आरोपीगण श्री 1. श्री धीरेन्द्र सिंह पुत्र रामगोपाल सिंह, उम्र 36 वर्ष, निवासी नादसा जागीर, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा हाल क्षेत्रीय वन अधिकारी, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज उदयपुर (पश्चिम) वन मण्डल उदयपुर एवं 2. श्री अब्दुल रउफ (रूआब) पिता श्री अब्दुल रज्जाक उम्र 34 वर्ष निवासी, रजा नगर सवीना, जिला उदयपुर हाल वनरक्षक कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज उदयपुर (पश्चिम) वन मण्डल उदयपुर को जरिये अलग-अलग फर्द के गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार आरोपी श्री धीरेन्द्र सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा श्री मुकेश सेनी डी.एफ.ओ. व श्री सेडूराम यादव सी.सी.एफ. को 10.60 प्रतिशत कमीशन के रूप में तथा 07 प्रतिशत स्वयं श्री धीरेन्द्र सिंह क्षेत्रिय वन अधिकारी द्वारा मांग अनुसार कुल 4,61,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। जिस पर दौराने् ट्रेप कार्यवाही दिनांक 18.03.2025 को श्री धीरेन्द्र सिंह क्षेत्रिय वन अधिकारी द्वारा 4,61,000 रूपये कमीशन राशि अपने अधिनस्थ श्री अब्दुल रउफ (रूआब) वनरक्षक को दिलवाये गये। आरोपी श्री धीरेन्द्रसिंह क्षेत्रिय वन अधिकारी द्वारा ईशारा कर उक्त रिश्वत राशि आरोपी श्री अब्दुल रउफ (रूआब) वन रक्षक को देने हेतु कहा जिस पर उक्त रिश्वत राशि आरोपी श्री अब्दुल रउफ (रूआब) वन रक्षक द्वारा अपने हाथो से ग्रहण कर फर्श पर नीचे रखे जिस पर उक्त रिश्वत राशि 4,61,000/- (1 लाख 1 हजार रूपये भारतीय चलन मुद्रा के नम्बरी नोट एवं 3.60 डमी नोट) रूपये ग्रहण करते हुए रंगे हाथो पकडा जाकर गिरफतार किया जाकर उक्त आरोपीगण के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण मामलात 1988 (यथा संशोधित-2018) एवं 61 (2) भारतीय न्याय संहिता-2023 प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। तथा परिवादी दिलीपसिंह व आरोपी श्री धीरेन्द्र सिंह क्षेत्रिय वन अधिकारी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के अनुसार आरोपी श्री धीरेन्द्रसिंह द्वारा दौराने् ट्रेप कार्यवाही ली गई रिश्वत राशि में से श्री मुकेश सेनी डी.एफ.ओ. व श्री सेडूराम यादव सी.सी.एफ. के लिये 10.60 प्रतिशत कमीशन राशि देने की वार्ता हुई है तथा 60,000 रूपये परिवादी से पूर्व में ग्रहण किये गये थे जो भी श्री मुकेश सेनी डी.एफ.ओ. व श्री सेडूराम यादव सी.सी. एफ. के लिये लेने की वार्ता हुई है तथा दौराने् ट्रेप कार्यवाही पुछताछ अनुसार भी श्री धीरेन्द्रसिंह क्षैत्रीय वन अधिकारी ने उक्त राशि का हिस्सा डी.एफ.ओ. व सी.सी.एफ. के लिये लेना स्पष्ट रूप से पुछताछ में नही बताया गया है जिससे उक्त श्री मुकेश सेनी डी.एफ.ओ. व श्री सेडूराम यादव सी.सी.एफ. की भूमिका की जॉच अनुसन्धान से स्पष्ट होगी। अतः श्री मुकेश सेनी डी.एफ.ओ. व श्री सेडूराम यादव सी.सी.एफ. की भूमिका की जॉच अनुसन्धान से स्पष्ट होगी तथा आरोपीगण श्री धीरेन्द्र सिंह पुत्र रामगोपाल सिंह, उम्र 36 वर्ष, निवासी नादसा जागीर, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा हाल क्षेत्रीय वन अधिकारी, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज उदयपुर (पश्चिम) वन मण्डल उदयपुर 2. श्री अब्दुल रउफ (रूआब) पिता श्री अब्दुल रज्जाक उम्र 34 वर्ष निवासी, रजा नगर सवीना, जिला उदयपुर हाल वनरक्षक कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज उदयपुर (पश्चिम) वन मण्डल उदयपुर के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित-

2018) एवं 61 (2) भारतीय न्याय संहिता-2023 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय प्रेषित है। भवदीय, एसडी (डां. सोनू शेखावत) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टे, उदयपुर।.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डां. सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टे, उदयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधीिनयम 1988 (यथा संशोधित-2018) एवं 61 (2) भारतीय न्याय संहिता-2023 में आरोपी 1. श्री धीरेन्द्र सिंह पुत्र रामगोपाल सिंह, उम्र 36 वर्ष, निवासी नादसा जागीर, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा हाल क्षेत्रीय वन अधिकारी, कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज उदयपुर (पश्चिम) वन मण्डल उदयपुर, 2. श्री अब्दुल रउफ (रूआब) पिता श्री अब्दुल रज्जाक उम्र 34 वर्ष निवासी, रजा नगर सवीना, जिला उदयपुर हाल वनरक्षक कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज उदयपुर (पश्चिम) वन मण्डल उदयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई । उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राजीव जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. उदयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 284 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 339-43 दिनांक 20.03.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर, 2.प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, राजस्थान जयपुर। 3-उप वन संरक्षक, वन विभाग, उदयपुर 4-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर 5.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे, उदयपुर।पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAJEEV JOSHI **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 20/03/2025 16:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	11/10/1989				
2	Male	16/04/1991				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)